विशेष किशोर बाल पुलिस एकक

SPECIAL JUVENILE (CHILD) POLICE

Prayas Institute of Juvenile Justice, 59, Tughlakabad Institutional Area,
New Delhi-110062, Telefax: 29955505, 29956244, 29051103
E-mail: prayas@del6.vsnl.net.in , Visit us: www.prayaschildren.org

भारतीय पुलिस, जो कि भारतीय पुलिस संहिता 1861 (Indian Police Act 1861) अथवा अन्य पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए हैं, वे भारतीय दंड संहिता 1860 (Indian Penal Code 1860) स्थानीय और विशेष कानून एवं अपराधी दंड विधि संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure 1973) के अनुरूप हों, उन्हें परम्परागत रूप से लागू करने में प्रशिक्षित होती है। यद्यपि इन अधिनियमों में बच्चों के लिए भी प्रावधान है, लेकिन मुख्य रूप से इन अधिनियमों के अन्तर्गत व्यस्कों को प्राथमिकता दी गई है। यथार्थ में, अधिकॉश पुलिस अधिकारियों कों किशोर बाल अधिनियम से संबम्धित आधुनिक अवधारणाओं की एवं बाल अधिनियम, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण एवं विकास, राष्ट्रीय बाल नीति, किशोर पर किसी प्रकार से रोक, संस्थागत एवं गैरसंस्थागत विकल्प, किशोर उत्तर रक्षा एवं जन समुदाय के प्रति भागीदारी की जानकारी नहीं है। प्रायः जब कोई बच्चा अपराध में संलिप्त हो अथवा उसकी अपराध की स्थितियों में पाये जाने पर उसका सम्पर्क पहले पुलिस के साथ होता है। लेकिन, अधिकॉश अवसर पर यह अनुभव किया गया है कि ऐसे मामलो में पुलिस का व्यवहार सुखद एवं संतोषप्रद नही रहा है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि पुलिस को ऐसे अवसरों से निपटने के लिए पर्याप्त संवेदनशीलता एवं प्रशिक्षण प्रदान नही किये जाते हैं। चूंकि पुलिस अधिकारी को पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते है। और वह बच्चों के भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकते है। पुलिस कार्यशैली का प्रभाव आगे चलकर समाज के उपर भी पड़ता है।

किशोर (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (Care and Protection of Children) Act, 2000 के अन्तर्गत अब स्थितियॉ बहुत हद तक परिवर्तित हो चुकी हैं। यद्यपि व्यवहारिक रूप से देश में अभी भी पुरानी परंपरायें ही चली आ रही हैं। बाल न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 63 के अनुसार देश के प्रत्येक पुलिस जिले में एक विशेष किशोर पुलिस एकक (Special Juvenile Police Unit) की स्थापना होने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विशेष किशोर पुलिस एकक आमतौर पर अपराध में संलिप्त बच्चें, समाज से उपेक्षित एवं बच्चों के मामलों की देखरेख करेंगे। इसके अन्तर्गत इस एकक में एक उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक एवं दो समाजसेवी (Social Worker) होंगे। जिनमें एक महिला

एवं एक पुरूप होंगे। यह बच्चों के मनोविज्ञान की जानकारी एवं उनके प्रति अनुकूल संवेदना रखेंगे। इस उद्वेश्य हेतू दो या तीन पुलिस अधिकारियों को विशेप प्रशिक्षण भी दिया जायेगा, ताकि वे बच्चों के साथ सही एवं उचित व्यवहार तथा कानूनी कार्यवाही कर सकें। अगर बाल पुलिस अधिकारी (Child Welfare Officer) अपने कार्य को सही ढंग से नही कर पाता है तो उसकी जगह दूसरा प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी अस्थाई तौर पर रखा जा सकता है। यह पुलिस एकक उप पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस निरीक्षक के दिशा निर्देश में कार्य करेगी।

पुलिस थाने के स्तर पर दो पुलिसकर्मी होंगें, जिनमें एक उपनिरीक्षक एवं दूसरा सहायक उपनिरीक्षक होंगे। यह बाल कल्याण अधिकारी (Juvenile / Child Welfare Officer) के रूप में कार्य करेंगे। इनके अतिरिक्त, हर पुलिस थाने में कम से दो या उससे अधिक सामाजिक कार्यकर्ता होंगें जो पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति विशेप प्रशिक्षण को पूरा कर लेने के उपरान्त ही होगी। इस प्रकार बाल पुलिस एकक जिला स्तर पर और बाल कल्याण अधिकारी, पुलिस थाना स्तर पर मिलकर एक समूह के रूप में कार्य करेंगे।

■ **कार्य:–**

बच्चों एवं किशोर की पेशी हेतू (PRODUCTION OF CHILD /JUVENILE)

- बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के समक्ष बच्चों की पेशी।
- किशोर न्याय बार्ड (Juvenile Justice Board) के समक्ष किशोर की पेशी।
- गैर सरकारी संगठन (Voluntary Organization) को बच्चों को सौंपना।
- बच्चों को, बाल–कल्याण समिति (Child Welfare Committee) एवं किशोर को, किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के समक्ष चौबिस घंटे के भीतर पेश करना।
- किशोर को पेशी के पहले सम्प्रेक्षण गृह (Observation Home) में भी रखा जा सकता है।

बच्चों के संरक्षण हेतू (PROTECTION OF CHILD JUVENILE)

इस कानून में बच्चों के संरक्षण के लिए भी प्रावधान है। पुलिस को इन प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए। यह प्रावधान निम्नलिखित हैं:–

- विशेप किशोर पुलिस/बाल कल्याण अधिकारी के द्वारा देखरेख करना।
- बच्चों को हथकड़ी लगाना प्रतिबंधित है।
- बंदीगृह या कारागार में नहीं रखा जायेगा।
- मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता है।
- बच्चों की पेशी अनौपचारिक एवं निजी तौर परं ही की जानी चाहिए।

- माता–पिता को भी परीक्षण में शामिल किया जाना चाहिए।
- कानूनी सलाह लेने का अधिकार।
- मीडिया/अखबार को किशोर की जानकारी के स्थान पर सिर्फ अपराध की ही जानकारी देना।
- 7 साल से कम आयु के बच्चों के उपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता है। (भारतीय दंड संहिता 82 (Section 82 IPC) के अनुसार)
- 7 से लेकर 13 वर्ष का बच्चा अगर कोई अपराध करता है और उसे अपने किये का परिणाम नही मालूम हो तो उसपर मुकदमा दर्ज नही किया जा सकता। (भारतीय दंड संहिता 83 (Section 83 IPC) के अनुसार)
- बच्चे की आम अदालत (Normal Court) में पेशी नही की जायेगी।

पकड़ने एवं परीक्षण हेतु:–

- माता–पिता/अभिभावक को सूचित करना।
- उस क्षेत्र के परिविक्षा अधिकारी (Probation Officer) को सूचित करना।
- बच्चे के पूरा ब्यौरे का डायरी (Diary) बनाना, जिसमें उसकी उम्र का उल्लेख होना चाहिये।
- प्राथमिकी (FIR) दर्ज करना। (बच्चे के साथ किये गये अपराधी के संदर्भ में)
- बच्चे को जमानत पर रिहा करना।
- उम्र निर्धारण और जॉच पड़ताल की पूरी कार्यवाही बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) एवं किशोर न्याय बार्ड (Juvenile Justice Board) के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप करना।

उपरोक्त सारे प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाये गये हैं। ताकि पुलिस बच्चों के अधिकार को ध्यान में रखकर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे।